BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 मार्च, 2025 **थाना सलेमपुर**

गैर इरादतन हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.03.2025 वादी भूपेन्द्र पुत्र बनारसी दास निवासी ग्राम घुंगरावली बनवारीपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सलेमपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 15.03.2025 की शाम को उसके भाई गोपाल को लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धतूरी थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर घर से घुमाने के बहाने ले गया था जिसका शव दिनांक 16.03.2025 की सुबह ग्राम चित्सौना के राकेश शर्मा की ट्यूबवेल पर मिला हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सलेमपुर पर मुअसं- 76/25 धारा 105 बीएनएस व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट बनाम लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 18.03.2025 को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 79/25 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धतूरी थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 अवैध चाकू

घटना का विवरण:- अभियुक्त लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन ने पूछताछ पर बताया कि गोपाल लगभग एक माह पूर्व चोरी के मुकदमे में रिहा होकर आया था तथा जेल में ही उसकी मुलाकात मेरे से हुई थी, मैं भी जेल मे चोरी के मुकदमें में जिला कारागार मे निरूद्ध था। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गयी थी। दिनांक 15.03.2025 की शाम को गोपाल और मै दोनों ट्यूबवेल पर बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गयी और मैने गोपाल को धक्का दे दिया जिससे अचानक गोपाल का सिर पानी की कुण्डी में लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा मैं वहां से डर कर भाग गया। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था।

अभियुक्त लखेन्द्र सिंह उर्फ लाखन उर्फ लखन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-56/06 धारा 302 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-136/13 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 206/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 276/20 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(द) एससी एसटी एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 2942/22 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना एंटीपावर थेप्ट जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 254/23 धारा 380/457/411भादवि व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 280/24 धारा 305/331(2)/317(2) बीएनएस थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 310/24 धारा 3/25 शस्त्र थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 76/25 धारा 105 बीएनएस व 3(2)(V)एससी/एटी एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 79/25 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री लोकेश अग्निहोत्री थाना प्रभारी सलेमपुर
2. उ0नि0 सचिन कुमार, उ0नि0 अनुराग गौतम
3. है0का0 गुलफाम

मीडिया सेल बुलंदशहर